न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

प्रकरण संख्या : 12/2018

अर्जुनराम पुत्र माणकराम जाति माली निवासी नोख तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुख्यालय कोलायत — रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–
1. श्री नवीन कुमार सारस्वत, अभिभाषक अपीलार्थी।
2. श्री दामोदरदास व्यास पैरोकारराज, राज्य की ओर से निर्णय

निर्णय

दिनांक :– 01–05–2018

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत आज्ञा विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत दिनांक 22–2–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23–3–2018 को प्रस्तुत की गई हैं।

(2) संक्षेप में अपील प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी मेडी का मगरा ने दिनांक 3.8.17 को तहसीलदार उपनिवेशन गजेनर को एक रिर्पोट प्रस्तुत की। जिसमें खसरा नं0 232 जिसका क्षेत्रफल 27 बीघा 1 बिस्वा हैं। जिस पर अपीलांट अर्जुनराम ने कृषि वर्ष 2017–18 संवत 2074 की खरीफ फसल के दौरान आराजीराज खसरा 232 की 2 बीघा 2 पर बाजरी की काश्त व 5 बीघा पर ग्वार की फसल बोकर कुल 7 बीघा पर नाजायज काश्त की हैं जिस पर अपीलांट अतिक्रमी हैं। इस रिर्पोट के आधार पर अपीलांट को धारा– 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अधीन प्रकरण दर्ज कर दिनांक 22.8.17 के लिए दिनांक 3.8.17 को नोटिस जारी किया गया व अपीलांट पर तथाकथित रूप से नोटिस की तामील मानते हुए दिनांक 30.8.17 को निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलांट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए आर्थिक शास्ति एवं 3 माह के सिविल काराबास की सजा से दण्डित किया गया।

(3) अपीलांट द्वारा दिनांक 30.8.17 के विरूद्ध माननीय अपीलांट न्यायालय मे अपील पेश की गई। जिसमें अपीलांट द्वारा स्वयं का शपथ पत्र इस आशंय का पेश किया गया कि अपीलांट द्वारा अपने पिता की कृषि भूमि के स्थान पर तथ्य की भूल से काश्त की गई थीं जिसका कब्जा छोड दिया गया हैं व भविष्य में पुनरावृति नही की जायेगी। जिसके आधार पर अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 29.9.17 को पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दी गई कि अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान

करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली प्रतिप्रेषित होने के बाद दिनांक 31.10.17 को अपीलांट स्वयं व उसके पिता माणकराम अधिनस्थ न्यायालय उपस्थित हुवे। माणक राम द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नं0 232 पर माणकराम का कब्जा व काश्त हैं व रही है। अपीलांट का इससे कोई लेना देना नही है। इसलिए उक्त प्रकरण में उसे पक्षकार की तरह सुना जावें। परन्तु माणकराम के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न करके उक्त निर्णय दिनांक 22.2.18 पारित किया हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से खारिज फरमावें। दिनांक 31.10.17 को अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें वादग्रस्त खसरे पर अपनी नाजायज कब्जा काश्त नही होना वर्णित किया हैं जिस पर न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर किया गया और ना ही निर्णय पारित करते समय गंभीरता से लिया गया जिसके अभाव मे यह नही कहा जा सकता कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका मिला हैं।

(4) अपीलांट के विरूद्व मेडी मगरा पटवारी की दिनांक 3.8.17 की रिर्पोट के आधार पर कार्यवाही की गई। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिर्पोट की सत्यता की कभी जॉच नही की गई है। जिसके अभाव मे समस्त कार्यवाही दूषित रही हैं। उक्त पत्रावली रिमांड होंने के पश्चात अपीलांट के अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने के बाद भी प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.17 पर गौर न कर अपीलांट का पक्ष सुना ही नही किया गया है निर्णय दिनांक 22.2.18 आरबीट्रेटरी व मनमाना पारित किया गया हैं। पत्रावली प्रतिप्रेषित होने के बाद अपीलांट के अतिक्रमी होने के बाबत कोई स्वतंत्र रिर्पोट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आई हैं और ना ही ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य हैं जिससे अर्जुनराम का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा या काश्त दर्शित करता हो। इस प्रकार पत्रावली प्रति प्रेषित होने के बाद बिना किसी जांच या साक्ष्य के उक्त जैर अपील निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

(5) अर्जुनराम पिछले 4–5 माह से राजस्थान से बाहर काम करता हैं इसलिए भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर उसका कब्जा व काश्त नही हो सकता। उक्त समस्त कार्यवाही माणकराम के पडौसी द्वारा आराजीराज पर माणकाराम के नियमन की कार्यावाही रोकने के लिये अमलाराज से मिलकर मिथ्या रिर्पोट के आधार पर की गई है । क्योकि माणकाराम का वादग्रस्त कृषि भूमि पर 30–35 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 19.5.2017 अधिनस्थ न्याययालय के निर्णय की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा ली गई है । जिसमें मौके पर वादग्रस्त जायदाद पर माणकाराम का कब्जा व काश्त बतायी गई है व माणकाराम द्वारा पानी की कुण्ड व तारबन्दी करवाया जाना बताया गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिर्पोट पर गौर न करके सरसरी तौर पर अर्जुनराम का कब्जा व काश्त मानकर भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22.2.2018 न्याय व साक्ष्य के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरित पारित कर अपीलान्ट के अधिकारो पर कुठाराघात किया है । इसलिये भी उक्त निर्णय दिनांक 22.2.18 निरस्तनीय है , निरस्त किया जावें । अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.2.18 निरस्त फरमाया जावे।

(6) इस अपील के रेस्पोडेंट राज्य को नोटिस किया गया जिस पर राज्य की ओर से पैरोकाराज उपस्थित आये अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड भी तलब करने पर दिनांक 10–4–2018 को न्यायालय में प्राप्त हुआ,जो शामिल मिसल कराया गया।

(7) बहस योग्य अभिभाषक अपीलार्थी एवं पैरोकारराज सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल अपील पत्रावली की गई ।

(8) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का सारगर्भित कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा प्रश्नगत भूमि पर उसने कब्जा तथ्यों की भूल से किया है जो कि खाली कर दिया है जबकि अपीलान्ट ने मूलतः उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–10–2017 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए कब्जा हटाने हेतु 10–12 दिन के समय की मांग की थी तत्पश्चात प्रकरण में अपील के निर्णय के पश्चात प्रति प्रेषित होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 31–10–2017 को प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रकरण में प्रारम्भ से प्रति प्रेषित होकर सुनवाई के दौरान अवसर दिया गया है तथा सुना गया है साथ ही अपीलान्ट के विरूद्ध फसल खरीफ संवत 2073 में भी अतिक्रमी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 18/2016 में निर्णय दिनांक13–10–2016 द्वारा शास्ति अधिरोपित की है। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–02–2018 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(9) निर्णय आज दिनांक 01–05–2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर

(ए0एच0 गौरी)
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर